कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /2499/ 2021/ इन्दौर,दिनांक 28-5-2021

//आदेश//

(The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act- 2005 तथा मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No. PS/Health/17/Medi-3/595 Bhopal 23-3-2020 के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के तहत्)

(इन्दौर जिले के आक्सीजन प्लांट के संबंध में)

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 235–236/2021 दिनांक 5–4–2021 द्वारा जिले में संचालित आक्सीजन प्लांट एवं आक्सीजन सप्लायर्स को आदेशित किया गया था कि सभी प्लांट एवं सप्लायर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ केवल मेडीकल आक्सीजन सप्लाई करेंगे अर्थात औद्योगिक इकाईयों को आक्सीजन सप्लाई प्रतिबंधित की गई थी।

वर्तमान में यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि आक्सीजन की अतिरिक्त उपलब्धता है अतः उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

"इन्दौर जिले में संचालित समस्त आक्सीजन प्लांट एवं आक्सीजन सप्लायर्स प्राथमिकता के आधार पर सर्व प्रथम मेडीकल आक्सीजन सप्लाई करेंगे एवं अतिरिक्त उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक इकाईयों को सप्लाई की जा सकेगी ।"

यह भी कि उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर **National Disaster Management Act- 2005 एवं The Epidemic Disease Act, 1897** के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270, 271** एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट–2005 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दडाधिकारी,
जिला इन्दौर,

पृ.क्र. /2500/ 2021 इंदौर दिनांक 28.5.2021

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, गृह मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2– प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3– आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर
4– पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर
5– डॉ श्री अभय बेडेकर अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर
6– सर्व संबंधित श्री ....

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.